

कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 30/04/2021

पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा कोरोना फ्रंटलाईन वारियर्स जिन्होने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपनी सेवायें दी है, के वेलफेयर हेतु निम्न कदम उठाने हेतु संबन्धित को निर्देशित किया है।

- ऐसे पुलिसकर्मी जिनकी उम्र-45 वर्ष से अधिक है व जिनको वैक्सीन के दोनो डोज नहीं लगे है, को मतगणना ड्यूटी से मुक्त रखा जाऐ।
- चुनाव ड्यूटी से लौटे समस्त पुलिस कर्मचारियों को जिन्हे बुखार, सर्दी, जुकाम, खॉसी आदि के लक्षण है एवं अस्वस्थ है, उनके लिए पुलिस लाईन्स वाराणसी में विशेष कैम्प लगाकर परीक्षण कराया जाऐ।
- उपरोक्त लक्षण होने पर तत्काल Antigen test कराया जाऐ एवं उसमे पाँजिटिव होने पर तत्काल उपचार प्रारम्भ करते हुऐ आर0टी0पी0सी0आर0 Test एवं अन्य जाँच करायी जाये।
- पुलिस आयुक्त ने समस्त पुलिस कर्मियों से ड्यूटी पर सदैव डबल माँस्क एवं ग्लब्स पहनने की भी सलाह दी है।
- यदि किसी पुलिस कर्मी में यह लक्षण मिलते है तो सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त को अवगत कराते हुए उन्हे 01 सप्ताह के लिए कोरोन्टाइन कराया जाऐ।

सोशल मीडिया सेल पुलिस आयुक्त, वाराणसी।